संख्याः— ई—83960 / 2025

प्रेषक,

डी0एम0एस0 राणा,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायती राज अनुभाग—1 देहरादून : दिनांक अप्रैल, 2025

विषय— राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2022—23 के अन्तर्गत संपन्न कराए गये प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवशेष लंबित भुगतान कराये जाने विषयक।

विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समस्त स्वयं सेवी संस्थायें, उत्तराखण्ड का पत्र द्वारा मा0 मंत्री, पंचायतीराज के पत्र संख्या—10897 दिनांक—11.04.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आर0जी0एस0ए0 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराए गये क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अवशेष लंबित भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

2— प्रकरण में निदेशालय के पत्र संख्या—3058, दिनांक 01.03.2025 द्वारा प्रस्तुत आख्या / प्रत्युत्तर द्वारा उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत शासन के संख्या—83960, दिनांक—12.03.2025 द्वारा विषयगत लंबित भुगतान के संबंध में नियमानुसार यथावश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही अथवा दिशा—निर्देश / मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया गया था। किंतु शासन द्वारा किये गये अनुरोध क्रम में निदेशक, क्षमता निर्माण, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या—K-11011/10/2023-CB दिनांक—21.03.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि पंचायतीराज मंत्रालय ने दिनांक—25 जुलाई, 2024 को राज्य सरकार से लंबित भुगतान के संबंध में क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त साक्ष्य / फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी किंतु राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक—29.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उपलब्ध अभिलेखों के अतिरिक्त अभिलेख / फोटोग्राफ्स वर्तमान में उपलब्ध जाना संभावित नहीं है, जबकि राज्य सरकार से उक्त साक्ष्य केन्द्रीय जाचं समिति की रिपोर्ट(संलग्न) के आधार पर मांगे गये थे।

उक्त के दृष्टिगत मंत्रालय द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त साक्ष्य के अभाव में हस्तक्षेप न करने की स्थिति से अवगत कराया गया है।

3 — शासन के पत्र संख्या—287199, दिनांक—29.03.2025 द्वारा विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लंबित भुगतान हेतु पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तर—02 में उल्लिखित वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए, विषयगत लंबित भुगतान के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु संबंधित एन0जी0ओ0 से किये गये पत्राचारों अथवा प्रयासों की वस्तुस्थिति / आख्या शासन को उपलब्ध कराने निर्देश दिये गये थे, किंतु प्रकरण में वांछित आख्या / प्रत्युत्तर शासन में आतिथि तक अप्राप्त है।

4— अतः उक्त वर्णित पत्र की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए, मुझे यह पुनः कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में आर0जी0एस0ए0 के अंतर्गत संपन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लंबित भुगतान हेतु पंचायतीराज मंत्रालय को साक्ष्य/फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराने हेतु संबंधित गैर सरकारी संस्थाओं से किये गये पत्राचारों अथवा प्रयासों की वस्तुस्थिति/आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,
Digitally signed by Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 28-04-2025 16:43:20

(डी0एम0एस0 राणा)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपिः—1. निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2.संबंधित स्वंय सेवी संस्थाओं को सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0एम0एस0 राणा)
संयुक्त सचिव।